संख्या 2091/66-1-09-52/08

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-प्रमुख सचिव/सचिव,
लोक निर्माण विभाग/पंचायतीराज विभाग/ऊर्जा/ग्राम्य विकास विभाग/राजस्व,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- जिलाधिकारी,
चन्दौली/गाजीपुर/मीरजापुर/सोनभद्र/मऊ/बलिया/देवरिया/कुशीनगर।

3- मण्डलायुक्त,
वाराणसी,विन्ध्याचल,आजमगढ़ एवं गोरखपुर।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 23-11-2009

विषय : नक्सल प्रभावित जनपदों के अन्तर्गत चिन्हित ग्रामों में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन कार्यक्रम से अवशेष ग्रामों का संतृप्तीकरण।

महोदय,

नक्सल प्रभावित जनपदों के अन्तर्गत चिन्हित ग्रामों को डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के कार्यक्रमों से संतृप्त किये जाने से सम्बन्धित शासन के आदेश संख्या 1393/66-2008-52/08 दिनांक 24 जुलाई,2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन कार्यक्रम से असंतृप्त 87 ग्रामों में सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन का निर्माण कार्य रू0 40लाख प्रति ग्राम की जनपद स्तर की सीमा तक तथा आवादी के शेष भाग में डामरीकरण व खड़न्जा/नाली का कार्य उसी प्रकार से कराया जाय जिस प्रकार से डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना में इस कार्य हेतु वर्तमान वर्ष के लिए नीति निर्धारित है ।

2- इस सम्बन्ध में उक्त योजना के कार्यक्रम सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग- पंचायती राज विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देश यथावत प्रभावी होगें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:2091(1)/66-1-09-49/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

----2

5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास सेल, उत्तर प्रदेश।
7. मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री(श्री जमील अख्तर), उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव।